IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सूचना का अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन

डॉण संजय कुमार यादव

सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान

शाण इण विण स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा (छ ग)

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में शा इ वि स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा के सामाजिक विज्ञान संकाय के छात्रों में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता के स्तर का परीक्षण किया गया है। शोध पत्र हेतु डेटा का संकलन सामाजिक विज्ञान संकाय के 50 छात्रों के माध्यम से किया गया है। यह अध्ययन शा इ वि स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा के सामाजिक विज्ञान संकाय के छात्रों में सूचना का अधिकार के प्रति समझ,उससे सम्बन्धित साहित्य तथा इसके प्रति जागरूकता का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम एक अधिनियम है, जो सामान्य जन को लोक प्राधिकरण, मामलों, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने तथा व्यावहारिक शासन के लिए सूचना प्राप्त करने का एक अधिकार देता है जो कि संविधान में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के माध्यम से क्रियान्वित होता है। यह 12 अक्तूबर, 2005 को लागू हुआ है

key वर्ड –सूचना ,अधिकार ,2005 ,स्नात्कोत्तर

भारत में सूचना के अधिकार का इतिहास

History of Right to Information in India

भारत के संविधान की धारा 19 (1) (क) में जानने का अधिकार भी निहित है। इसमें सभी नागरिकों को वाक–स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति–स्वातंत्र्य का अधिकार देने की बात है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का कहीं अलग से उल्लेख नहीं है। प्रत्येक नागरिक के लिए प्रदत्त इस स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को भी अंतर्निहित माना गया है। इसी तरह, सूचना के अधिकार को भी इसका अनिवार्य अंग बताया गया है। उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार के अनुकूल निर्णय दिए गए हैं जैसे कि–

- हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ 1960, में कहा गया है कि सामान्य हित के विषयों पर विचार और सूचना ग्रहण करने तथा पाने का अधिकार भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है।

- हिम्मतलाल बनाम पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद 1973, मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था–लोकतंत्र की मूल अवधारणा यह है कि नागरिकों की सहमति के आधार पर शासन होना चाहिए। यह सहमति स्वतंत्र और स्वाभाविक होने के साथ ही विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पर्याप्त सूचनाओं और विचार–विमर्श पर आधारित होनी चाहिए ।

- सूचना के अधिकार के प्रति कुछ सजगता वर्ष 1975 के शुरूआत में "उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राज नारायण" से हुई।मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में हुई, जिसमें न्यायालय ने अपने आदेश में लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यो का व्यौरा जनता को प्रदान करने का व्यवस्था किया। इस निर्णय ने नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाकर सूचना के अधिकार को शामिल कर दिया।

- वर्ष 1982 में द्वितीय प्रेस आयोग ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 की विवादस्पद धारा 5 को निरस्त करने की सिफारिश की थी, क्योंकि इसमें कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया था कि 'गुप्त' क्या है और 'शासकीय गुप्त बात' क्या है ? इसलिए परिभाषा के अभाव में यह सरकार के निर्णय पर निर्भर था, कि कौन सी बात को गोपनीय माना जाए और किस बात को सार्वजनिक किया जाए।बाद के वर्षो में साल 2006 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित 'द्वितीय प्रशासनिक आयोग' ने इस कानून को निरस्त करने का सिफारिश किया।

- इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम भारत संघ, 1985 मामले में उच्चतम ने कहा है कि नागरिकों को सरकार के संचालन सम्बन्धी सूचनाओं के विषय में जानने का अधिकार है।

- 10वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में कहा गया है कि अगर सूचना को अधिकार के तौर पर सभी नागरिकों को उपलब्ध कराया जाए तो शासन के लिए विकास योजनाओं का कार्यान्वयन आसान हो जाएगा।

- भारत में सूचना के अधिकार के लिए सबसे ठोस, स्पष्ट एवं अनवरत आन्दोलन राजस्थान के किसानों ने चलाया। अरुणा राय एवं निखिल डे के नेतृत्व में हमारा पैसा, हमारा हिसाब आन्दोलन भारत में सूचना के अधिकार का अगुवा बना। 1975 में आईएएस की नौकरी छोड़कर जनांदोलनों से जुड़ी अरुणा राय ने 1987 में राजस्थान के देवडूंगरी गाँव में एक संगठन की नींव रखी–'मजदूर किसान शक्ति संगठन'।भारत के पूर्व एयर मार्शल पी.के.डे. के पुत्र निखिल डे तथा स्थानीय कार्यकर्ता शंकर सिंह की मदद से इस संगठन ने जल्द ही अपनी मजबूत पकड़ बना ली। इसके नेतृत्व में मजदूरी, आजीविका के साधन तथा जमीन के सवालों पर आन्दोलन तेज हुआ।

- 1989 में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद वी पी सिंह की सरकार सत्ता में आई, जिसने सूचना का अधिकार कानून बनाने का वायदा किया। 3 दिसम्बर 1989 को अपने पहले संदेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री वी पी सिंह ने संविधान में संशोधन करके सूचना का अधिकार कानून बनाने तथा शासकीय गोपनीयता अधिनियम में संशोधन करने की घोषणा की। किन्तु वी पी सिह की सरकार तमाम कोशिस करने के बावजूद भी इसे लागू नहीं कर सकी और यह सरकार भी ज्यादा दिन तक न टिक सकी।

- विकास योजनाओं में गबन तथा कम मजदूरी के खिलाफ 1993 में आरम्भ अभियान ने धीरे–धीरे पारदर्शिता के लिए आन्दोलन का रूप लिया। इसी दौरान, अपना गांव, अपना काम योजना में भारी अनियमितता का भंडाफोड़ करने के लिए इससे सम्बन्धित दस्तावेजों की मांग करते हुए 15 जून, 1994 को भीम राजसमंद में धरना दिया गया। इसी वर्ष जून महीने में पाली जिले के कोट किराना गांव में ग्रामीणों के दबाव में बीडीओ द्वारा की गयी जांच में फर्जीवाड़े का पता चला।इसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ जन–सुनवाई का अनूठा प्रयोग शुरू हुआ। जन–सुनवाई में दस्तावेजों को ग्रामीणों के बीच जांच के लिए पेश करने पर भारी गडबड़ियों का पता चला। चार जिलों में जन–सुनवाई के आधार पर मजबूत किसान शक्ति

संगठन ने भ्रष्ट अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया। लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली।इसके बाद मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जानने के अधिकार को लेकर आन्दोलन तेज कर दिया। मई 2000 को राजस्थान विधानसभा ने सूचना का अधिकार कानून पारित किया। इसी दिन पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके वार्ड सभा एवं ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य कर दिया गया। 26 जनवरी, 2001 से राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ।राजस्थान को सूचना का अधिकार देने वाले पहले राज्य का श्रेय भले ही न मिला हो, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों को पूरे देश में इसकी अवधारणा और उदाहण पेश करने का ऐतिहासिक गौरव अवश्य प्राप्त हुआ।

- वर्ष 1997 में केन्द्र सरकार ने एच.डी शौरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करके मई 1997 में सूचना की स्वतंत्रता का प्रारूप प्रस्तुत किया।
- वर्ष 2002 में संसद ने 'सूचना की स्वतंत्रता विधेयक ((फ्रिडम ऑफ इन्फॉरमेशन बिल) पारित किया। इसे जनवरी 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, लेकिन इसकी नियमावली बनाने के नाम पर इसे लागू नहीं किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार **Right to Information&RTI)** अधिनियम, 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है, जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिये लागू किया गया है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है, यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
- इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे।
- प्राप्त सूचना की विषयवस्तु के संदर्भ में असंतुष्टि, निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने आदि जैसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है।
- इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक **CAG** और निर्वाचन आयोग **Election Commission** जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी के आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा।
- इसके अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय, संसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय शामिल हैं।
- राष्ट्र की संप्रभुता, एकता–अखण्डता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएँ प्रकट करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है।

सूचना अधिनियम में संशोधन

केंद्र सरकार ने 2019 मे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन किया था, जिस पर कई आलोचकों एवं विश्लेषकों का मानना था कि इस कदम से सूचना का अधिकार कानून की मूल भावना ही खतरे में आ जाएगी।

- अधिनियम में मुख्य संशोधन
- संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएंगी।
- उल्लेखनीय है कि **RTI** अधिनियम की धारा–13 में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तों का उपबंध किया गया था। अधिनियम में कहा गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन, भत्ते और शर्तें क्रमशः मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के समान होंगी। इसमें यह भी उपबंध किया गया था कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन क्रमशः निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सचिव के समान होगा।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन को निष्पादित करने के लिए निम्नांकित उद्देश्यों को निर्धारित किया है–

1. सूचना का अधिकार के बारे में महाविद्यालय के छात्रों की जागरूकता के स्तर का अध्ययन करना।
2. छात्रों के सामाजिक, आर्थिक, पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।

प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र

यह शोध विषय वर्तमान के जागरूकता अनुभाविकता के आधार पर एक विस्तारपूर्ण, सहयोगी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। जोकि सूचना के अधिकार के बारे में महाविद्यालय के छात्रों पर किया गया है।

शोध की परिकल्पना

शोध आरंभ करने के पूर्व 'सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन विषय पर निम्नांकित शोध परिकल्पना, की गई है –

1, सूचना का अधिकार से भ्रष्टाचार में कमी आयी है।

2, सूचना के अधिकार से शासकीय कार्यो में गतिशीलता आयी है

3. सूचना के अधिकार का कुछ लोगो के द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा हैं।

प्रस्तुत अध्ययन की परिसीमाएँ

प्रस्तुत कार्य की निम्नलिखित परिसीमाएँ निर्धारित की गयी है–

1. प्रस्तुत अध्ययन में आंकड़ों के संग्रहण हेतु, महाविद्यालय के सामाजिक संकाय के छात्रों को चुना गया है।
2. इस शोध में केवल छात्राओं के जागरूकता स्तर को देखने का प्रयास किया गया है।
3. प्रस्तुत अध्ययन भारतीय संदर्भ में किया गया है/सीमित है।

प्रस्तुत अध्ययन की विधि

वर्णनात्मक अध्ययन विधि– प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान की सर्वेक्षण प्रविधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में छात्रों के सूचना का अधिकार के प्रति कितनी जागरूकता है, उसका अवलोकन किया गया है।

आंकड़ों का स्त्रोत

प्रस्तुत अध्ययन में प्रयुक्त आंकड़ों के स्त्रोत सामाजिक विज्ञान संकाय के छात्र है।

महाविद्यालय का स्वरूप

यह अध्ययन शा इ वि स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा के सामाजिक विज्ञानं संकाय के छात्रों पर किया गया है यह महाविद्यालय कोरबा जिला का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा महविद्यालय है ,इस महाविद्यालय में 15 विषयो में स्नातकोत्तर एवं 4 संकायों में स्नातक का अध्ययन किया जाता है। यह महाविद्यालय लगभग 50 एकड़ में फैला हुवा है।

आंकड़ा विश्लेषण

प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया है। जिसके उत्तर (आंकड़े) के आधार पर सारणी द्वारा विषय प्रस्तुत किया गया है तथा आवृत्ति के आधार पर विभिन्न पक्ष, वर्ग का वर्गीकरण किया गया है। सारणी द्वारा प्रश्नों का उत्तर प्रतिशत रूप प्रस्तुत किया गया है।

$$\text{प्रतिशत विधि} \quad \frac{\text{उत्तरदाता की संख्या} \times 100}{\text{उत्तरदाता की कुल संख्या}}$$

उत्तरदाता की सामाजिक, आर्थिक पक्ष पर अध्ययन

छात्रों (उत्तरदाता) ने अपने नाम, आयु के साथ अपने सामाजिक, आर्थिक पक्ष का भी विवरण दिया। जिसके आधार पर` उनके विशेष अनुभव का ज्ञान हो पाया, जो हमारे आंकड़ा संग्रह, निष्कर्ष में काफी उपयोगी रहा।

प्रस्तुत अध्ययन में प्राप्त उत्तर के आधार पर प्रस्तुत सारणी–

तालिका 1

प्रश्न - आपकी आयु कितनी है

चर	वर्ग	प्रतिशत
आयु	20 -21	54
	22-23	46

निष्कर्ष - आयु अनुपात में 20–21 वर्ष की छात्रों की संख्या 22–23 के तुलना में अधिकं है

तालिका 2.

प्रश्न आपके निवास की पृष्टभूमि क्या है शहरी या ग्रामीण

चर	वर्ग	प्रतिशत
पृष्ठभूमि	ग्रामीण	35
	शहरी	15

निष्कर्ष - प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण छात्रों की तुलना में शहरी छात्रों का प्रतिशत कम है

तालिका 3.

प्रश्न आपके परिवार की मासिक आय कितनी है

चर	वर्ग	प्रतिशत
पारिवारिक मासिक आय	5000	25
	7500	20
	10000	5

निष्कर्ष - 5000–7500 तक पाने वाले पारिवारिक मासिक आय की संख्या अधिक था।

तालिका 4

. प्रश्न **RTI** भारत में कब लागू हूवा

चर	वर्ग	प्रतिशत
सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ	16 अक्टूबर 2004	5
	12 अक्टूबर 2005	25
	15 नवम्बर 2006	15
	पता नहीं	5

निष्कर्ष - प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुपात से अधिक छात्रों को **RTI** के लागू होने की सही जानकारी थी।

तालिका 5

प्रश्न **RTI** के सम्बन्ध में कितनी जानकारी है

चर	वर्ग	प्रतिशत
RTI के प्रति जागरूकता स्तर	पूरी जानकारी	12
	आधी जानकारी	8
	बहुत थोड़ी जानकारी	25
	पता नही	5

निष्कर्ष - अनुपात में अधिकांश छात्रों को **RTI** के संदर्भ में बहुत कम जानकारी थी।

तालिका 6

प्रश्न **RTI** के सम्बन्ध में किससे जानकारी प्राप्त हुई

चर	वर्ग	प्रतिशत
स्त्रोत	मित्रों से	5
	किसी से नहीं	5
	संचार माध्यम	30
	स्त्रोत परिवार से	10

निष्कर्ष - **RTI** के बारे में जानकारी प्राप्त करने में संचार माध्यम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

तालिका 7

प्रश्न **RTI** के सम्बन्ध में किसको जानकारी होनी चाहिए

चर	वर्ग	प्रतिशत
जानकारी प्राप्त करने का अधिकार	केवल सरकारी कार्यकर्ता को	10
	देश के सभी नागरिक को	35
	गैर सरकारी कार्यकर्ता को	5

निष्कर्ष - पूर्ण रूप से छात्रों ने यह माना है कि **RTI** के बारे में देश के सभी नागरिकों को जानने का हक होना चाहिए।

तालिका

प्रश्न **RTI** हेतु आवेदन शुल्क कितना है

चर	वर्ग	प्रतिशत
आवेदन शुल्क	10	10
	20	30
	30	5
	पता नहीं	5

निष्कर्ष - : छात्रों में **RTI** के आवेदन शुल्क की जानकारी का अभाव था।

तालिका 9.

प्रश्न **RTI** का लाभ छात्रों को कितना होता है या क्या **RTI** लाभ पहुंचाता है?

चर	वर्ग	प्रतिशत
RTI का लाभ	लाभदायक है	15
	लाभदायक नहीं है	15
	आवश्यक पड़ने पर	20

निष्कर्ष - : 15 प्रतिशत छात्र जिन्होंने माना कि **RTI** लाभदायक अधिकार है।

तालिका 10

प्रश्न सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक है–

चर	वर्ग	प्रतिशत
भ्रष्टाचार पर रोक	हाँ	30
	नहीं	10
	थोड़ा बहुत	5
	पता नहीं	5

निष्कर्ष - अनुपात से अधिक छात्रों ने कहा कि **RTI** भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक है।

तालिका 11

प्रश्न सुचना प्राप्ति हेतु किससे संपर्क करते है

चर	वर्ग	प्रतिशत
सूचना प्राप्ति के लिए सम्पर्क	पब्लिक इन्फार्मेशन ऑफिसर से पता नहीं	20
	असिस्टेन्ट पब्लिक इन्फार्मेशन ऑफिसर से	10
	किसी से भी	10
	पता नहीं	10

निष्कर्ष - सूचना प्राप्ति के लिए 20 प्रतिशत छात्र ने बताया कि पब्लिक इन्फार्मेशन ऑफिसर से सम्पर्क करते है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

सूचना का अधिकार लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने को सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेहिता जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लाया गया था, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि **RTI** अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा है। यह आवश्यक है कि सरकार तथा नागरिक संस्थानों को मिलकर **RTI** अधिनियम को और अधिक मज़बूत करने का प्रयास करना चाहिये, जिससे प्रशासन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के साथ लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सम्बन्धित आगामी अध्ययन हेतु निम्नलिखित सूझाव है–

1. विद्यालय, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों में त्ज् जैसे अन्य विषयों को भी एक विषय के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाये।
2. संकाय, विद्यालयों में **RTI** जैसे अधिकारों जुड़े विषयों पर समय–समय पर संगोष्ठी, प्रतियोगिता कराया जाना चाहिए।
3. संकाय, विद्यालयों में ऐसे ग्रंथालय का विकास किया जाए, जिसमें **RTI** तथा अन्य कानूनी अधिकारों से जुड़े पुस्तक, पत्रिका की सुविधा हो।

सन्दर्भ ग्रंथ –

1 सुचना का अधिकार – मुथ्थुस्वामी ,बृंदा ,संजीव
2 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरल शब्दों में – सिंह देवेंद्र कुमार
3 सूचना का अधिकार अधिनियम ,एक विवेचन –यादव अभय सिंह
4 सूचना का अधिकार अधिनियम – पाण्डे राजेंद्र
5 सूचना का अधिकार – शर्मा चेतन प्रकाश